


13/8/84

पञ्जावली लोक अदालत के पत्र से पत्राई  
प्राप्ति के उपरिष्ठ/सीमाज्ञान विषय  
आठ पञ्जावली ही पञ्जावली का हकबिलान  
किया गया/सुतारिक तहसील के विषय  
जसिधे पुलिस इन्चार्ज के पत्रवागरी किया  
जाना संभव है

इस प्राप्ति का प्राठ पत्र म्वीकण किया जाता  
है तहसील के तहसील जसिधे का अवेरा कि  
भात है कि सुतारिक सीमाज्ञान पर प्राठ पत्र  
से संशित अराजीपात्र की पत्रवागरी  
कायम करवाया जाना सुनिश्चित कर/इस  
अवेरा से कटपना सुपुदेगी का कायवाही  
ब्रामील नहीं होगा/इस आराय की तहसील  
तहसील के जारी है/पञ्जावली पत्र  
सुमार होकर जगद से काम देकर देकर है

  
सदस्य  
लोक अदालत  
लाहौर, जिला-बीसा